सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No.- NCST/ATY-677/JH/1/2022-APCR Date : 08.10.2024

सेवा मे,

श्री चंदन कुमार सिन्हा
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
जिला - रांची,
एस एस पी कार्यालय,
रांची, झारखंड -834001
Email Id: ssp-ranchi@jhpolice.gov.in

विषय: अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर हुए अत्याचार एवं मानसिक, शारीरिक व आर्थिक उत्पीड़न, गाली गलौच करने एवं पुलिस द्वारा कार्यवाही न करने के संबंध मे श्री रजेंदर सिंह - मुंड़ा, ग्राम मरधान, पो० चीरूडीह थाना तमाड़ -, जिला रांची (झारखंड), दिनांक -07/09/2022 का अभ्यावेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 27.08.2024 को **राजकीय अतिथिशाला, मोरहाबादी, रांची (झारखंड)** मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गयी अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्टकी गई कार्रवाई / की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीय

(एच.आर मीना /H.R. Meena)
अनुसंधान अधिकारी/ Research Officer
Email ID : hari.rammeena@ncst.nic.in

प्रतिलिपि:

श्री रजेंदर सिंह मुंड़ा
ग्राम मरधान, पो० चीरूडीह
थाना तमाड़ -, जिला रांची (झारखंड)
मो० - 9931589798

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

(1) PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
(2) NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.सं NCST/ATY-677/JH/1/2022-APCR

श्री राजेन्द्र सिंह मुंडा, ग्राम मरधान, पो० चीरूडीह, थाना - तमाड़, जिला रांची (झारखंड) शिकायत के मामले में आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 27.08.2024 को राजकीय अतिथिशाला मोहरबादी, रांची झारखण्ड में हुई सुनवाई का कार्यवृत।

****

सुनवाई की तिथि : 27.08.2024, 03:0 0P.M.

सुनवाई में उपस्थित अधिकारी : सूची संलग्न है

****

यह मामला श्री राजेंद्र सिंह मुंडा, ग्राम मरधान, पो० चीरूडीह, थाना - तमाड़, जिला रांची, झारखण्ड की प्राप्त शिकायत दिनांक 07-09-2022 का है, जिसमें उन्होने बताया है की दिनांक 29 जुलाई 2022 को ग्राम बुरूसिंगु थाना तमाड़ जिला रांची झारखण्ड में अवस्थित उनकी जमीन पर नामजद 17 अभियुक्तों ने अपने साथियों के साथ उनके भाईयों एवं परिवार के सदस्यों व कृषि कार्य में सहयोग देने वाले निहत्थे सहयोगियों पर अभद्र गाली-गलौज करते हुए हथियारों से जानलेवा हमला किया। इस संदर्भ में उन्होने तमाड़ थाना जिला राँची में केस नम्बर -69/22 दिनांक 01.08.2022 को प्राथमिकी) प्राथमिकी की प्रति संलग्न (दर्ज करवाई। प्राथमिकी की प्रतियाँ, पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड, पुलिस महानिरीक्षक, दक्षिणी छोटानागपुर प्रक्षेत्र, राँची, पुलिस उप महानिरीक्षक, राँची, वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राँची को प्रेषित की गई। परन्तु, पुलिस की घोर लापरवाही के कारण कोई कारवाई अभी तक नहीं हुई है, जिससे प्राथमिकी में नामजद अभियुक्तों का मनोबल और बढ़ चुका है और वे सब उनके भईयों व

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

परिवार जनों को बराबर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। । अभ्यावेदक ने उचित कार्रवाई की मांग की है। अतः प्रार्थी ने आयोग से इस मामले में दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है।

2 आयोग ने इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिनांक 21/10/2022 को नोटिस भेजा गया था और 7 दिनों में रिपोर्ट मांगी गयी थी।

3 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रांची की ओर से दिनांक 19.07.2024 का जवाब प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होने बताया है कि अभियुक्तों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया है।

4 इस सम्बंध में आयोग द्वारा दिनांक 27.08.2024 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रांची के साथ राजकीय अतिथिशाला मोहरबादी, रांची झारखण्ड में सुनवाई तय की गयी।

5 प्रकरण की सुनवाई में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रांची व शिकायतकर्ता उपस्थित हुए।

6 प्रकरण में सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुषंशाए की गयी-:

- मामले में यह देखा गया है की आरोप पत्र दाखिल करते हुए पुलिस द्वारा बिना न्यायालय के संज्ञान में लाये उस आरोप पत्र में से अनुसूचित जाति व् जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराएँ हटाई गयी है जिसका स्पष्टीकरण आयोग को जांच कर प्रस्तुत किया जाए।
- रांची से रिपोर्ट मंगवाने में पुलिस विभाग द्वारा विलम्ब किया गया है जिसपे सम्बन्धित की जवाबदेही तय कर कार्यवाही करे।
- प्रार्थी की सुरक्षा का प्रयाप्त ध्यान रखा जाए।
- मामले में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट 15 दिवस में रिपोर्ट आयोग में प्रेषित करे।

आशा लकड़ा
12/09/2024

(डॉ आशा लकड़ा)

सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Annexure

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
Case File No.- NCST/ATY-667/JH/1/2022-APCR

List of participants

Officers from National Commission for Scheduled Tribes

Dr. Asha Lakra (In Chair)
Hon'ble Member

Shri Shubhashis Rasik Soren
Legal Consultant

Shri H.R. Meena
Research Officer

Shri Vishnu Datt Saini
Investigator

Shri Vivekanand Shukla
Investigator

Officers from O/o the Sr. Superintendent of Police, Ranchi

Shri Chandan Kumar Sinha, Sr. Superintendent of Police, Ranchi

Petitioners

Shri Rajedra Singh Munda